



गुरु घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कर्मांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)
Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क...५५.../अका./शोध/शारीरिक शिक्षा/2021

बिलासपुर, दिनांक: 08 APR 2021

प्रति,

बुद्धदेव कन्दर (शोधार्थी)
शारीरिक शिक्षा विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

(पंजीकृत डाक द्वारा)

विषय:- यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतममानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 16-07-2020 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) शारीरिक शिक्षा, विद्यापीठ-शिक्षा में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
A Comparative Study of Motor Fitness, Physiological and Psychological Variables Between Kabaddi and Kho-Kho Players of West Bengal		Dr. Bhoj Ram Rawte, Assistant Professor Department of Physical Education, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)	
शोध केन्द्र	पंजीयन कर्मांक	पंजीयन तिथि	नामांकन कर्मांक
शारीरिक शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	185021503	16-07-2020	GGV/18/0297

1. आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियम R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोष जनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कमशः

2. यह पंजीयन छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा । शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-10 अधीन रहेगा ।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 5000/- (परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा ।
4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा । छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की ब्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी । विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा ।
5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम 2018 के अधीन होगा । अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के प्रावधानों का भली-भांति अध्ययन कर लें ।

आदेशानुसार,



सहा. कुलसचिव(अका.)

क्रमांक 45 / अका0 / शोध / शारीरिक शिक्षा / 2021

बिलासपुर, दिनांक 08 APR 2021

प्रतिलिपि:-

1. शोध निर्देशक-डॉ० भोज राम.रावटे सहायक प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र/छात्रा का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।
2. विभागाध्यक्ष/शोध केन्द्र-शारीरिक शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
5. विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर वेब पटल पर अपलोड किये सूची में शामिल करने हेतु प्रेषित ।
6. संबंधित नस्ती ।



सहा. कुलसचिव (अका.)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)